भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 162
25.11.2024 को उत्तर के लिए

शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जैव-विविधता को नुकसान

162. **श्रीमती शांभवीः**
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री राजेश वर्माः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क. विगत पांच वर्षों के दौरान शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जैव-विविधता को होने वाले नुकसान की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
ख. ऐसे कदमों/उपायों के लिए बजट की कितनी राशि का उपयोग किया गया है;
ग. क्या सरकार ने देश में संकटापन्न प्रजातियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
घ. क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कृषि में संवहनीय पद्धतियों को बढ़ावा देने के संबंध में कोई कदम उठाए हैं/उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
ङ. सरकार द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयासों के बारे में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री:
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग); भारत सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 लागू किया है, जिसमें संरक्षित क्षेत्र में किसी भी क्रियाकलाप के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन देने से पहले जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सावधानी बरतने का प्रावधान किया गया है। संरक्षित क्षेत्रों में वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

राज्य वन विभागों द्वारा प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाती हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, दस वर्षों की अवधि में किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची भी शामिल होती है।

इसके अलावा, देश के जैव संसाधनों के संरक्षण तथा इन संसाधनों तक पहुंच के विनियमन के उद्देश्य से जैव विविधता अधिनियम, 2002 और इसके संशोधन को भी अधिनियमित किया गया है, ताकि इनके उपयोग से होने वाले लाभों का न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित किया जा सके और इसके तहत इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और सभी राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थापित किए गए हैं।

जैविक संसाधनों तक पहुंच के विनियमन के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जैव विविधता नियम, 2024 को अधिसूचित किया गया है ताकि उनके उपयोग से होने वाले लाभों का न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित किया जा सके।

भारत सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रजाति-उन्मुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसे वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जैसे संगठन - सर्वेक्षण, सूचीकरण, वर्गीकरण सत्यापन, वनस्पति और जीव संसाधनों के खतरे के आकलन के साथ-साथ बाहरी संरक्षण में सहायता करते हैं।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन की दिशा में उठाए गए कुछ उपायों में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य जैव विविधता बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषदों का गठन, 47 जैव विविधता विरासत स्थलों की घोषणा, जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना और 28 राज्यों एवं 5 संघ राज्य क्षेत्रों में लोगों के जैव विविधता रजिस्टरों की तैयारी करना शामिल हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत, इस मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से 18 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में संकटग्रस्त प्रजातियों को भी अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना राज्य जैव विविधता बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्रों की जैव विविधता परिषदों को अधिसूचित प्रजातियों तक पहुंच को विनियमित करने और उन प्रजातियों को संरक्षित करने के उपाय करने की शक्ति प्रदान करती है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश में जैव विविधता के नुकसान की चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने संबंधी राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत मिशन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना, अमृत धरोहर, जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार के लिए जल संसाधन कार्यक्रम, नगर वन योजना, तटवर्ती पर्यावासों और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल और प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन शामिल हैं। ये पहल

देश में वनरोपण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी बहाली और पारिस्थितिकी विकास गतिविधियों और जैव विविधता संरक्षण सहित आर्द्रभूमि संरक्षण को बढ़ावा देती हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के साथ संरेखित भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति एवं कार्य योजना और राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों को जैव विविधता संबंधी सम्मेलन संबंधी समर्पित पोर्टल पर जारी और अपलोड किया गया है।

(घ) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के राष्ट्रीय मिशन को क्रियान्वित किया जा रहा है। इन मिशनों के तहत जलवायु अनुकूल कृषि पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है और जलवायु अनुकूल कृषि गांवों के विकास के लिए किसानों के खेतों में प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। जलवायु अनुकूल कृषि विकसित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) भारत सरकार ने स्कूली छात्रों को वृक्षारोपण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियों में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय हरित कोर (इको-क्लब) की शुरुआत की है। इसके अलावा, स्वच्छ भारत अभियान और 'नमामि गंगे' सहित कई अभियान चलाए जा रहे हैं जो स्वच्छता और नदी संरक्षण प्रयासों में सार्वजनिक भागीदारी के महत्व पर बल देते हैं। वर्ष 2022 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्रभूमि के सहभागी संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में 'मिशन सहभागिता' की शुरुआत की और वर्ष 2023 में आर्द्रभूमि मूल्यों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया गया है। पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, और विश्व पर्यावरण दिवस जैसे राष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से जागरूकता को और बढ़ावा दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा हरित कौशल विकास कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है, जो युवाओं को महत्वपूर्ण संरक्षण कौशल से युक्त करता है और स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन प्रथाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना को अद्यतन करने के दौरान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संबंधित हितधारकों, मंत्रालयों और विभागों के साथ कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली के लिए मिशन (लाइफ) और 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में जन जागरूकता और भागीदारी में सुधार करना है।

*****